

विधि / LAW

प्रश्न-पत्र I / Paper I

निर्धारित समय : तीन घंटे

Time Allowed : Three Hours

अधिकतम अंक : 250

Maximum Marks : 250

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें :

इसमें आठ प्रश्न हैं जो दो खण्डों में विभाजित हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हुए हैं।

परीक्षार्थी को कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम एक प्रश्न चुनकर किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।

प्रश्नों के उत्तरों की गणना क्रमानुसार की जाएगी। यदि काटा नहीं हो, तो प्रश्न के उत्तर की गणना की जाएगी चाहे वह उत्तर अंशतः दिया गया हो। प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

Question Paper Specific Instructions

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions :

There are EIGHT questions divided in TWO SECTIONS and printed both in HINDI and in ENGLISH.

Candidate has to attempt FIVE questions in all.

Questions no. 1 and 5 are compulsory and out of the remaining, any THREE are to be attempted choosing at least ONE question from each section.

The number of marks carried by a question /part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer (QCA) Booklet must be clearly struck off.

खण्ड A

SECTION A

Q1. निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

Answer the following questions in about 150 words each :

- (a) ‘पूर्ण समानता स्वयं में असमानता का एक कारण हो सकती है।’ इस कथन के आलोक में, वास्तविक (मौलिक) समानता पर चर्चा कीजिए।

‘Absolute equality may itself be a cause of inequality.’ In the light of this statement, discuss substantive equality. 10

- (b) ‘बुनियादी स्वतन्त्रताओं और व्यक्तियों की गरिमा बनाए रखने के लिए संविधान को संविधानवाद के साथ पारगम्य होना चाहिए।’ चर्चा कीजिए।

‘To preserve basic freedoms and dignity of individuals, a Constitution should be permeated with Constitutionalism.’ Discuss. 10

- (c) निर्णयज वाद विधियों की सहायता से संघ और राज्य की विधियों के बीच असंगति के सम्बन्ध में विधिक स्थिति की व्याख्या कीजिए। असंगति की स्थिति में कौन-सी विधि अधिभावी होगी ?

Explain the legal position in case of repugnancy between Union and State laws with the help of decided case laws. Which law shall prevail in case of repugnancy ? 10

- (d) स्थानीय निकाय चुनावों में उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल के निर्णय में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोटा निर्धारित करने एवं प्रदान करने के लिए कौन-से परीक्षण निर्धारित किए गए हैं ?

What are the tests laid down by the Supreme Court in a recent decision for quantifying and providing quota for Other Backward Classes in local body elections ? 10

- (e) ‘वेडनसबरी के अयुक्तियुक्तता के सिद्धान्तों’ को स्पष्ट कीजिए। क्या ये सिद्धान्त किसी भी तरह से प्रशासनिक निर्णयों की ‘योग्यता-समीक्षा’ की गुंजाइश प्रदान करते हैं ?

Elucidate ‘Wednesbury’s Principles of Unreasonableness’. Do these principles provide in any way, scope for ‘merits review’ of administrative decisions ? 10

Q2. (a) “संशोधनकारी शक्ति हमारे संविधान के आधारभूत स्वरूप या संरचना को नुकसान या नष्ट करने तक विस्तारित नहीं होती है।” चर्चा कीजिए।

“Amending power does not extend to damaging or destroying the basic structure or framework of our Constitution.” Discuss. 20

- (b) संसदीय विशेषाधिकार के मामलों में मूल अधिकारों को लागू करने पर चर्चा कीजिए ।
Discuss the application of fundamental rights to parliamentary privilege cases.

15

- (c) क्या आपको लगता है कि देश के शासन में सभी 'राज्य की नीति के निदेशक तत्व' समान रूप से महत्वपूर्ण हैं ? निर्णयज वाद विधियों की सहायता से वर्णन कीजिए ।
Do you think that all the 'Directive Principles of State Policy' are equally fundamental for the governance of the country ? Describe with the help of decided case laws.

15

- Q3.** (a) क्या राज्य के सांविधानिक प्रमुख को वास्तव में संघीय व्यवस्था का मुख्य-केन्द्र कहा जा सकता है ? राज्यपाल की शक्तियों एवं कर्तव्यों के आलोक में व्याख्या कीजिए ।

Can the constitutional head of the State be truly described as the nerve-centre of the federal system ? Explain in the light of powers and duties of the Governor.

20

- (b) प्रत्यायोजित विधान को मूल रूप से अधिकारातीत घोषित करने के क्या आधार हैं ? वाद विधियों का संदर्भ दीजिए ।

What are the grounds to declare a delegated legislation as substantive ultravires ? Refer case laws.

15

- (c) संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात घोषणा के प्रभाव की संक्षिप्त चर्चा कीजिए ।
Briefly discuss the impact of Proclamation of Emergency under Article 352 of the Constitution.

15

- Q4.** (a) संसदीय प्रणाली में यद्यपि सदस्यों के संदर्भ में विधायिका और कार्यपालिका के बीच कोई अलगाव नहीं है, दोनों के बीच कार्यों का पृथक्करण है । प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों के आलोक में व्याख्या कीजिए ।

In the Parliamentary system, though there is no separation between the legislature and the executive in terms of personnel, there is separation of functions between the two. Explain in the light of relevant judicial decisions.

20

- (b) क्या प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्राथमिक विधानों की वैधता की जाँच करने के लिए सक्षम हैं ? वाद विधि के आलोक में चर्चा कीजिए ।

Are administrative tribunals competent to examine the constitutional validity of primary legislations ? Discuss in the light of case law.

15

- (c) 'आडी आल्टेरम पार्टेम' के महत्व को स्पष्ट कीजिए । ऐसे कौन-से मामले या परिस्थितियाँ हैं जिनमें नैसर्गिक न्याय के पूर्वोक्त सिद्धान्त को बाहर रखा जा सकता है ?

Explain the significance of 'Audi Alteram Partem'. What are the cases or circumstances in which the aforesaid principle of natural justice can be excluded ?

15

खण्ड B

SECTION B

Q5. निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

Answer the following questions in about 150 words each :

- (a) समकालीन युग में अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास को ध्यान में रखते हुए, क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की शास्त्रीय परिभाषा बेमानी हो गई है ?

Keeping in view the growth of International Law in the contemporary era, do you think the classical definition of International Law has become redundant ?

10

- (b) 'वस्तुतः-मान्यता' तथा 'विधितः-मान्यता' में अन्तर स्पष्ट कीजिए ।

Distinguish between 'De-facto' and 'De-jure' Recognition.

10

- (c) राज्यक्षेत्रीय आश्रय और बाह्य-राज्यक्षेत्रीय आश्रय क्या हैं ? समझाइए ।

What are Territorial Asylum and Extraterritorial Asylum ? Explain.

10

- (d) 'राज्यक्षेत्रीय-समुद्र' पर राज्यों के विभिन्न अधिकार क्या हैं ?

What are the various Rights of States over 'territorial-waters' ?

10

- (e) अंतर्राष्ट्रीय विधि में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के तरीकों के रूप में मध्यस्थता एवं न्यायिक निपटारा के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए ।

Distinguish between Arbitration and Judicial settlement as methods of peaceful settlement of disputes in International Law.

10

Q6. (a) अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं राष्ट्रीय विधि के बीच संबंधों पर विभिन्न सिद्धांतों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

Critically examine various theories relating to the relationship between International Law and Municipal Law.

20

- (b) राज्य उत्तराधिकार के विभिन्न सिद्धांतों का सविस्तार वर्णन कीजिए ।

Elaborate various theories of State succession.

15

- (c) राष्ट्रीयता के अर्जन और खोने के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए ।

Discuss various modes of acquisition and loss of Nationality.

15

- Q7.** (a) महासभा के विभिन्न कार्यों तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए।
 Describe the various powers and functions of the General Assembly. 20
- (b) “पैक्टा टर्टिस नेक नोसेन्ट नेक प्रोसन्ट” नियम को सुसंगत वाद विधियों की सहायता से स्पष्ट कीजिए।
 Explain the maxim “Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt” with relevant case laws. 15
- (c) क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत आत्मरक्षा के अधिकार में अग्रिम कार्रवाई (प्रि-एंप्टिव एक्शन) करने का अधिकार शामिल है ?
 Does the Right to Self-Defence under International Law include Right to take Pre-emptive Action ? 15
- Q8.** (a) विमान की गैर-कानूनी ज़ब्ती के दमन के लिए सम्मेलन के उद्देश्य से एक विमान को ‘उड़ान में’ (इन फ्लाइट) कब माना जाता है ? राज्य पार्टियों पर उक्त सम्मेलन द्वारा आरोपित दायित्वों का अंकन कीजिए।
 When is an aircraft considered to be ‘in flight’ for the purposes of the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft ? Delineate the obligations the said convention imposes on the State parties. 20
- (b) विश्व व्यापार संगठन में निर्णय लेने का सबसे पसंदीदा साधन क्या है ? किन परिस्थितियों में बहुमत वोटों से निर्णय लिया जा सकता है ? किन निर्णयों के लिए सुपर बहुमत वोटों की आवश्यकता होती है ? क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है ? विवेचना कीजिए।
 What is the most favoured means of decision-making at World Trade Organisation ? Under what circumstances can decisions be taken by majority votes ? Which decisions require super majority votes ? Is there a need to reform the decision-making process ? Discuss. 15
- (c) अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि (IHL) के मूल सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।
 Explain the core principles of International Humanitarian Law (IHL). 15

